रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122021-231742
CG-DL-E-09122021-231742

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 2021/अग्रहायण 18, 1943
No. 689] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2021/AGRAHAYANA 18, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 848(अ).— औषधि नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 01 सितंबर, 2021 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 611(अ), तारीख 01 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान के पूर्व, आपत्ति और सुझाव आंमत्रित किए गए थे;

और, राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 01 सितंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि (सातवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. औषधि नियम 1945 में, नियम 43क में, "और मध्यप्रदेश में धन्नड़" शब्दों के स्थान पर, "और मध्यप्रदेश में धन्नड़ तथा टीही" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एक्स.11014/17/2021–डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : औषधि नियम, 1945, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 839(अ), तारीख 29 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2021.

G.S.R. 848(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945, was published, as required under sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 611(E), dated the 1st September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 1st September, 2021, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 1st September, 2021;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs Rules, 1945, namely:—

1. (1) These rules may be called the Drugs (7th Amendment) Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs Rules, 1945, in rule 43A, for the words "Inland Container Depot Dhannad", the words "Inland Container Depot at Dhannad and Tihi" shall be substituted.

[F. No. X.11014/17/2021-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Note : The Drugs Rules, 1945 were published in the Gazette of India *vide* notification number F.28-10/45-H(1), dated the 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R. 839(E), dated the 29th November, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.09 22:42:57 +05'30'